छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)(छ.रा.वि.मं.की एक उत्तरवर्ती कंपनी)
(CIN : U40108CT2003GC015822)
कार्यालय मुख्य अभियंता (राजस्व)
द्वितीय तल, पूर्व प्रशासनिक भवन, सी.एस.पी.डी.सी.एल., रायपुर–492013
फोन नं. 0771 – 2576750 , 2576752 फैक्स 0771 – 2576754 website: www.cspdcl.co.in

क्र.02–15 / राजस्व / 357 रायपुर दिनांक 31 JUL 2021

परिपत्र

विशय :– "नवीन मीटर वाचक योजना" – फोटोस्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग का कार्य स्वतंत्र मीटर रीडर्स से कराये जाने हेतु दर एवं प्रकिया निर्धारण के संबंध में।

मुख्य अभियंता (राजस्व) के परिपत्र कमांक 02–15 / राजस्व–1 / 311 दिनांक 20.07.2021 द्वारा सीएसपीडीसीएल के सॉफ्टवेयर के माध्यम निम्नदाब उपभोक्ताओं की फोटोस्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग विषयक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है।

उपरोक्त प्रणाली के सुसंचालन हेतु "नवीन मीटर वाचक योजना" तैयार की गई है जिसके अंतर्गत फोटोस्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग का कार्य बाहय स्त्रोत / स्वतंत्र मीटर रीडर्स / मीटर वाचक से करवाने हेतु संशोधित दरें एवं प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

(अ) संशोधित दरें :–

(1) शहरी क्षेत्र (नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्र) में– रुपये 5.00 प्रति उपभोक्ता

(2) ग्रामीण क्षेत्र (नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र) में– रुपये 6.00 प्रति उपभोक्ता

(3) नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों (नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र) में– रुपये 7.00 प्रति उपभोक्ता (इसमें संलग्न सूची अनुसार दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र तथा सामान्य अनुसूचित क्षेत्र शामिल होंगे)

उक्त दरों में GST सम्मिलित नहीं हैं। GST नियमानुसार कंपनी द्वारा देय होगा।

नोटः– उक्त दरें यदि आवश्यक हो तो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिदिन मिलने वाला पारिश्रमिक के अनुरुप समिति की अनुशंसा उपरांत ही परिवर्तित होगी। अतः वर्तमान दरें आगामी दो वर्ष अथवा समिति की अनुशंसा जारी होने तक प्रभावशील रहेगी।

मीटर वाचक योजना के तहत चयनित मीटर रीडर के पास स्वयं का स्मार्ट मोबाइल फोन (एन्ड्रॉइड ओरियो 8..0 या अधिक वर्ज़न, न्यूनतम 3 जीबी रैम, कैमरा न्यूनतम 8 मेगापिक्सल) इंटरनेट सुविधा एवं ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर का होना अनिवार्य है जिसमें खपत होने वाली सामग्री जैसे बैटरी इत्यादि की व्यवस्था मीटर वाचक को स्वयं करनी होगी। प्रिंटर में उपयोग होने वाले थर्मल प्लेन पेपर रोल मीटर वाचक को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

मीटर रीडर को अपने स्मार्ट मोबाईल फोन पर सीएसपीडीसीएल के फोटो स्पॉट बिलिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। उपभोक्ताओं के परिसर में लगे मीटर की फोटोस्पॉट मीटर रीडिंग कर ब्लूटूथ युक्त थर्मल प्रिंटर की सहायता से मौके पर ही बिल प्रिंट कर उपभोक्ता को तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

(ब) मीटर रीडर / वाचक की योग्यता :– कम से कम हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्य करने वाले अथवा कार्य कर चुके ऐसे ठेका मीटर वाचक, जिनका कार्य पूर्व में संतोषजनक रहा है, को प्राथमिकता दी जावेगी। कंप्यूटर के क्षेत्र में डिप्लोमा अथवा डिग्रीधारक अथवा आई.टी.आई. पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में हायर सेकेण्डरी (10+2) उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दसवीं पास व्यक्ति जिसके पास कौशल विकास योजना के अंतर्गत मीटर रीडर का प्रशिक्षण प्राप्त हो, से भी कार्य लिया जा सकता है।

(स) चयन प्रक्रिया :–

1. फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु "नवीन मीटर वाचक योजना" का विवरण और नियम व शर्तें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (यहां से आगे संक्षेप में "डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी") की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
2. स्वतंत्र मीटर वाचक के चयन एवं कार्य आबंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/(शहर) संभाग होंगे। सभी अर्हताएं पूर्ण करने पर और प्राथमिकता निर्धारण के बाद स्वतंत्र मीटर रीडर/वाचक का चयन "लाटरी पद्धति" द्वारा किया जाएगा।
3. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का संबंधित (संचारण एवं संधारण)/(शहर) संभाग राज्य स्तर के किसी स्थानीय समाचार पत्र में, जिसका प्रचलन उस क्षेत्र में हो जहां फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग का क्रियान्वयन स्वतंत्र मीटर रीडर/वाचक के माध्यम से किया जाना है, संक्षिप्त नोटिस प्रकाशित करेगा। यह नोटिस संभागीय कार्यालय/ज़ोन कार्यालय/डिस्ट्रीब्यूशन केन्द्र (DC) के सूचना पटल और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
4. नोटिस के समाचार–पत्र में प्रकाशन की तिथि से 10 दिन तक संभागीय कार्यालय में फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु स्वतंत्र मीटर रीडर/वाचक योजनांतर्गत कार्य करने हेतु आवेदन–पत्र जमा किया जा सकेगा। आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में देना होगा, जिसे वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकेगा। आवेदन–पत्र संबंधित संभागीय कार्यालय से निःशुल्क भी प्राप्त किया जा सकता है।
5. आवेदनकर्ता को आवेदन–पत्र के साथ अन्य दस्तावेजों के अतिरिक्त आधार कार्ड की स्व–हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. उल्लेखनीय है कि मीटर रीडिंग हेतु आवश्यक उपकरण जैसे स्मार्ट मोबाईल फोन इंटरनेट सुविधा एवं ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर मीटर रीडर/वाचक के स्वयं के होंगे, अतः इस योजना के तहत चयनित मीटर रीडर/वाचक से अनुबंध के समय किसी तरह की अमानत राशि/सुरक्षा निधि नहीं ली जायेगी।
7. चयनित मीटर रीडर/वाचक से अनुबंध एक वर्ष के लिए किया जाएगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर पुनः ठेका अनुबंध या आदेश में विस्तार अधिकतम और एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा।
8. मीटर रीडर/वाचक को ठेका अनुबंध एवं पहचान–पत्र (फोटोयुक्त) संभागीय कार्यालय से जारी किया जावेगा जो कि अहस्तांतरणीय होगा। पहचान पत्र अधिकतम एक वर्ष के लिये जारी किया जाएगा। ठेका समाप्त होने पर परिचय–पत्र संभागीय कार्यालय को वापस करना अनिवार्य होगा, जिससे इसका अनुचित उपयोग न होने पाए।

(द) <u>प्रशिक्षण</u> :– मीटर रीडर/वाचक हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था संबंधित कनिष्ठ/सहायक अभियंता, वितरण केन्द्र/ज़ोन प्रभारी द्वारा की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान मीटर रीडर/वाचक को किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा भत्ता पाने की पात्रता नही होगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात ही संबंधित कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/(शहर) संभाग द्वारा फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग का कार्य सौंपा जाएगा।

(इ) <u>क्षतिपूर्ति</u> :– मीटर रीडर/वाचक द्वारा सौंपे गए कार्य की पूर्ति न करने अथवा गलत कार्य करने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को निम्नानुसार रहेगा :–

(1) मीटर वाचक को प्रदान किए गए बिलिंग डेटा के अनुसार मीटर रीडिंग एवं बिलिंग निर्धारित समयावधि में पूर्ण न किए जाने की स्थिति में रुपये 100/– प्रतिदिन
यदि वितरण केन्द्र/ज़ोन प्रभारी द्वारा निर्धारित समयावधि में मीटर रीडर/वाचक द्वारा 90% मीटर रीडिंग/बिलिंग और शेष रीडिंग अगले तीन दिन में पूरी कर ली जाती है तो क्षतिपूर्ति नही लगेगी।

(2) किसी उपभोक्ता की मीटर रीडिंग एवं बिलिंग निर्धारित समयावधि में नहीं करने पर अथवा त्रुटिपूर्ण करने पर रुपये 5/– प्रति उपभोक्ता अधिकतम रूपये 500/– प्रतिमाह

(3) एक ही उपभोक्ता का लगातार दूसरी बार भी मीटर रीडिंग एवं बिलिंग नहीं करने अथवा त्रुटिपूर्ण रीडिंग करने पर रुपये 25/– प्रति उपभोक्ता।

(4) किसी उपभोक्ता की जानबूझकर कम अथवा अधिक रीडिंग करने पर (अंडर–रीडिंग या ओवर रीडिंग) या जांच में मीटर में कम रीडिंग के कारण संचित यूनिट पाए जाने पर रुपये 400/– प्रति उपभोक्ता।

इस तरह की गलतियां बार–बार पाए जाने पर मीटर वाचक का अनुबंध/ठेका 15 दिन की नोटिस देकर रद्द भी किया जा सकेगा तथा वह विद्युत अधिनियम–2003/भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही का पात्र होगा।

(5) उपभोक्ता द्वारा बिल प्राप्त न होने कि शिकायत प्राप्त होने पर तथा जांच पश्चात् शिकायत सिद्ध पाए जाने पर उपभोक्ता की रीडिंग हेतु निर्धारित पारिश्रमिक दर की कटौती मीटर रीडर/वाचक के देयक से की जाएगी।

(फ) ठेके का निरस्तीकरणः–दिये गये कार्य की लगातार उपेक्षा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की संपत्ति या हितों को नुकसान पहुंचाने अथवा अनियमितता एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित कार्यपालन अभियंता 15 दिवस का "कारण बताओ नोटिस" देने के बाद अनुबंध निरस्त/समाप्त कर सकेगा।

(ग) नियम/मुख्य शर्तें–

1. इस योजना के तहत चयनित मीटर रीडर/वाचक के पास स्वयं का स्मार्ट मोबाइल फोन (एन्ड्रॉइड ओरियो 8..0 या अधिक वर्ज़न, न्यूनतम 3 जीबी रैम, केमरा न्यूनतम 8 मेगापिक्सल) जिसमें उपभोक्ता स्थल के अक्षांश/देशातंर दर्ज करने की क्षमता हो, इंटरनेट सुविधा एवं ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर का होना अनिवार्य है। थर्मल प्रिंटर एवं थर्मल प्लेन पेपर रोल की तकनीकी जानकारी निम्नानुसार होगीः–
   i) थर्मल प्रिंटरः– 2 इंच थर्मल प्रिंटिंग, ब्लूटूथ 4.0 वर्ज़न (10 मीटर रेंज), 65 जीएसएम के 15 मीटर थर्मल प्रिंटिंग पेपर रोल के लिए उपयुक्त, रिचार्जेबल लिथियम ऑयन बैटरी न्यूनतम 2000 एम.ए.एच. , हिन्दी प्रिंटिंग हेतु यूनीकोड सपोर्ट।
   ii) थर्मल प्रिंटिंग पेपर रोलः– 58 एम.एम. चौडाई, 55 से 65 जीएसएम, 15 मीटर लंबाई, पेपर रोल कोर 10 एम.एम., पेपर रोल के दोनो तरफ कोरा रहेगा एवं पेपर की क्वालिटी का चयन इस प्रकार से हो कि सामान्य परिस्थिति में न्यूनतम 6 माह तक प्रिंटिंग सुरक्षित रहे।

   बिल प्रिंटिंग के लिए आवश्यक थर्मल प्लेन पेपर रोल की आपूर्ति, संबंधित कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/(शहर) द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

2. कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/(शहर) यह सुनिश्चित करेंगे कि संभाग के अंतर्गत आने वाले वितरण केन्द्र/ज़ोन के समस्त निम्नदाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग प्रत्येक माह की 01 तारीख से 15 तारीख तक (तीन बैच में विभक्त करते हुए) अनिर्वायतः पूर्ण कर ली जाए।

3. मीटर रीडर/वाचक को एक समय में सिर्फ एक ही ठेका दिया जाएगा। फोटोस्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग के कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र में अधिकतम 1500, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1200 और नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1000 उपभोक्ता की रीडिंग प्रति मीटर रीडर की सीमा निर्धारित रहेगी।

4. मीटर रीडर/वाचक को शहरी क्षेत्र में 100 से 120 उपभोक्ता, ग्रामीण क्षेत्र में 80 से 90 उपभोक्ता तथा नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में 70 से 80 उपभोक्ता प्रतिदिन की रीडिंग कम से कम करनी होगी।

5. मीटर रीडिंग पूर्णतः रियलटाईम आधारित है जिसमें मीटर रीडर को मीटर रीडिंग पंचिग करने हेतु मीटर हिस्ट्री में उपलब्ध बिलिंग Kwh, बिलिंग KW एवं बिलिंग PF को ही पंच करना है।

6. मीटर रीडर/वाचक द्वारा रीडिंग पंच करते ही मोबाइल में डाउनलोड किए हुए फोटो स्पॉट बिलिंग सॉफ्टवेयर द्वारा बिल बनाया जायेगा, जिसे मीटर रीडर द्वारा प्रिंट कर उपभोक्ता को दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि इंटरनेट की उपलब्धता हो अथवा न हो, दोनों ही स्थिति में बिल बनेगा। साथ ही, इंटरनेट उपलब्ध होते ही स्वचलित तरीके से मोबाइल में संधारित डाटा सीधे मिडिलवेयर/सर्वर पर पंहुच जायेगा।

7. मीटर रीडर/वाचक द्वारा यदि ऑफलाईन मोड में रीडिंग ली गई है, तो उसको नेटवर्क में आने पर ऑनलाईन मोड में रीडिंग को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

8. मीटर रीडर/वाचक को मीटर रीडिंग के साथ–साथ फोटो भी खींचनी है, जिस हेतु निम्नलिखित प्रावधान हैंः–

i) मीटर की फोटो इस तरह खींची जाये, जिसमें मीटर सामने से पूरा दिखे तथा मीटर री... फोटो स्पष्ट दिखाई दे।

ii) मीटर स्थापना को स्पष्ट दिखाने हेतु मीटर से कुछ दूर हटकर फोटो खींचा जाए।

iii) मीटर अथवा सर्विस वायर से छेडखानी से विद्युत खपत प्रभावित होने की संभावना ज्ञात होने पर फोटो आवश्यक रूप से खींची जाए।

9. फोटोस्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग के कार्य हेतु प्राधिकृत अधिकारी संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/(शहर) संभाग होंगे। मीटर रीडर/वाचक हेतु उपभोक्ताओं के समूह संबंधी कार्य आबंटन, मीटर रीडिंग की मॉनिटरिंग संभाग के वितरण केन्द्र/ज़ोन प्रभारी के द्वारा की जावेगी जो प्रत्येक बैच की रीडिंग निर्धारित समयावधि में होना सुनिश्चित करेंगे।

10. वर्तमान में जहां पर स्पॉट बिलिंग का कार्य पहले से ही ठेके पर चल रहा है एवं ठेकेदार द्वारा मीटर वाचकों की पर्याप्त संख्या नहीं लगाई जा रही है, वहां पर भी इस योजना के अंतर्गत संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा शेष कार्य (Part work) करवाया जा सकता है। इसी तरह जिन मीटर रीडिंग ठेकेदारों की कॉन्ट्रैक्ट समयावधि समाप्त हो गई है, वहां भी मीटर वाचक योजना के तहत स्वतंत्र मीटर रीडर को मीटर रीडिंग की जिम्मेदारी दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11. प्राधिकृत अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगें कि किसी एक संभागीय कार्यालय से अनुबंधित मीटर वाचक किसी दूसरे संभागीय कार्यालय से अनुबंध न करें एवं यथासंभव चयनित मीटर वाचक स्थानीय जिले का मूल निवासी हो।

12. 15 एचपी से अधिक भार वाले औद्योगिक उपभोक्ता इस योजना में शामिल नहीं होंगे तथा अन्य उपभोक्ताओं के बारे में संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा निर्णय किया जाएगा।

13. एक मीटर वाचक को एक बार में एक ही बिलिंग डेटा दिया जाएगा। प्रत्येक मीटर रीडिंग बैच हेतु मीटर रीडर्स को दी जाने वाली मीटर रीडिंग एम.आर.यू. आधारित होगी। मीटर रीडिंग निर्धारित समयावधि में करने हेतु आवष्यक एम.आर.यू. का निर्धारण वितरण केन्द्र/ज़ोन प्रभारी के द्वारा मासिक रीडिंग आरंभ करने से पहले ही आवष्यक रूप से कर लिया जाएगा तथा मीटर रीडर की नियुक्ति भी तदानुसार की जावेगी।

14. इस योजना के तहत् दिया गया ठेका अहस्तांतरणीय है। चयनित मीटर रीडर/वाचक फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग का कार्य किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करवाएगा। परिचय–पत्र मीटर रीडर/वाचक के स्वयं के नाम पर जारी होगा और उसे स्वयं कार्य करना होगा।

15. मीटर रीडर/वाचक को मीटर रीडिंग एवं बिलिंग कार्य के दौरान पहचान के लिए कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र (जिसे मीटर वाचन के समय उपभोक्ता चाहें तो देख सकें) तथा पृष्ठ भाग में "CSPDCL METER READER" मुद्रित गहरे नीले रंग की जैकेट को धारण करना अनिवार्य होगा।

16. मीटर रीडर/वाचक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में विद्युत चोरी की लिखित गोपनीय सूचना संबंधित कार्यपालन अभियंता को दिए जाने पर चोरी के विरूद्ध वसूल की गई राशि में से ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार का 10 % अथवा अधिकतम रुपये 10,000/– जो भी कम हो, प्रोत्साहन के रूप में मीटर वाचक को देय होगी।

17. प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मीटर रीडिंग कार्य में लगे हुए मीटर रीडरों से किसी भी प्रकार से बंद/खराब/जले मीटरों को बदलने का कार्य नहीं कराया जावेगा।

18. भुगतान प्रकिया :– चूंकि मीटर वाचकों का कार्य कम आय श्रेणी में आएगा अतः उनके द्वारा जमा किए गए मासिक बिल/देयकों के भुगतान की प्रकिया को बेहद सरलीकृत एवं समयबद्ध किये जाने हेतु निम्नानुसार भुगतान प्रकिया प्रावधित की जावे –

   1. मीटर रीडर/वाचक द्वारा माह में किए गए रीडिंग कार्यो की सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट/इनवाइस संबंधित कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/शहर) संभाग द्वारा मीटर रीडर को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रदान कर दी जावेगी।

2. मीटर रीडर/वाचक माह में किए गए मीटर रीडिंग कार्य की प्राप्त सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट/इनवाइस से संतुष्ट होकर विधिवत हस्ताक्षर कर संपूर्ण कार्यों का देयक सीधे संबंधित संभागीय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। देयक वाले माह में किए गए कार्य का सत्यापन उपरान्त पाई गई त्रुटियों की प्रावधिक पेनाल्टी राशि अगले माह के देयकों में समायोजित की जावेगी।
3. संभागीय कार्यालय द्वारा रीडिंग माह के 25 तारीख तक मीटर वाचकों से प्राप्त देयकों का सत्यापन कर हर स्थिति में 30 तारीख तक (अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस) भुगतान हेतु मीटर रीडर–वार बिल की राशि तथा भुगतान योग्य राशि को एक एक्सेल शीट में सूचीबद्ध कर भुगतान हेतु संबंधित वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
4. संबंधित कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/शहर) संभाग से प्राप्त सत्यापित एक्सेल शीट में समाहित मीटर रीडर/वाचकों के बैंक खाते में भुगतान योग्य पारित राशि संबंधित वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा सात कार्य दिवसों के अन्दर अनिवार्यतः ट्रांसफर कर दी जावेगी।
5. कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/शहर) संभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि बिल/देयक का भुगतान मीटर रीडर/वाचकों को सामान्यतः माह के प्रथम सप्ताह में हो जाए ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

अनुबंध प्रारूप, परिचय–पत्र हेतु दिशा–निर्देश, परिचय–पत्र का प्रारूप, आवेदन–पत्र, विच्छेदन प्रपत्र और समाचार–पत्र में प्रकाशनार्थ नोटिस का प्रारूप संलग्न हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार एवं दुर्गम अनुसूचित तथा सामान्य अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला/विकासखण्ड की सूची

(विकास कुमार गुप्ता)
मुख्य अभियंता (राजस्व)
छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि.रायपुर

प्रतिलिपि :–

01. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (रा.श.क्षे./रा.ग्रा.क्षे./दु.क्षे./राज.क्षे./ज.क्षे./बि.क्षे./राय.क्षे./अं.क्षे), छ.ग.स्टेट.पा.डिस्ट्री. कं.लि.,रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/जगदलपुर/बिलासपुर/रायगढ़/अंबिकापुर
02. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (ऊ.सू.प्रौ.के.)/(सुधार एवं संधारण) छ.ग.स्टेट पा.डिस्ट्री. कं. लि.,रायपुर–कार्य.निदे. ईआईटीसी से अनुरोध है कि प्रपत्र की प्रतिलिपि ऊर्जा आईनेट में अपलोड करने की व्यवस्था करे।
03. महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा/मा.स.) छ.ग.स्टेट पा.डिस्ट्री. कं. लि.,रायपुर
04. अधीक्षण अभियंता (वृत्त/शहर) वृत्त छ.ग.स्टेट पा.डिस्ट्री. कं. लि...............................
05. कार्यपालन अभियंता (सुधार एवं संधारण)/(शहर) वृत्त छ.ग.स्टेट पा.डिस्ट्री. कं. लि...............................
06. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी छ.ग.स्टेट पा.डिस्ट्री. कं. लि.............................

दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र

क्र.	जिला	जिला / विकासखण्ड
1.	सुकमा	सम्पूर्ण जिला
2.	दंतेवाड़ा	सम्पूर्ण जिला
3.	नारायणपुर	सम्पूर्ण जिला
4.	बीजापुर	सम्पूर्ण जिला
5.	कांकेर	कोयलीबेड़ा, दुर्गकोंदल एवं अन्तागढ विकासखण्ड

सामान्य अनुसूचित क्षेत्र

क्र	जिला	जिला / विकासखण्ड
1.	बस्तर	सम्पूर्ण जिला
2.	कोण्डागांव	सम्पूर्ण जिला
3.	सरगुजा	सम्पूर्ण जिला
4.	कोरिया	सम्पूर्ण जिला
5.	बलरामपुर	सम्पूर्ण जिला
6.	सूरजपूर	सम्पूर्ण जिला
7.	जशपुर	सम्पूर्ण जिला
8.	कोरबा	सम्पूर्ण जिला
9.	धमतरी	नगरी विकासखण्ड
10.	बालोद	डौंडी विकासखण्ड
11.	कांकेर	कांकेर चारामा एवं नरहरपुर विकासखण्ड
12.	गरियाबंद	गरियाबंद, छुरा एवं मैनपुर विकासखण्ड
13.	राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी, मोहला एवं मानपुर विकासखण्ड
14.	रायगढ़	खरसिया, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, तमनार एवं लैलूंगा विकासखण्ड

(रुपये 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु "नवीन मीटर वाचक योजना" के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबन्ध

प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से "डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी" कहा जाएगा) उसके प्राधिकृत अधिकारी के मार्फत।

द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती/सुश्री ....पिता/पति श्री .... आयु .... निवास का पता.. .... (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से द्वितीय पक्ष अथवा मीटर रीडर/वाचक कहा जाएगा)।

उभय पक्षों के मध्य "नवीन मीटर वाचक योजना" के अंतर्गत फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग कर उपभोक्ता को बिल उपलब्ध कराने का कार्य ठेके पर बाह्य स्त्रोत/स्वतंत्र मीटर रीडर्स/मीटर वाचक से करवाने हेतु निम्नानुसार अनुबंध निष्पादित किया जाता है –

01. यह कि कार्य का यह ठेका निम्नदाब उपभोक्ता के फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु "नवीन मीटर वाचक योजना" के अंतर्गत दिया गया है।

02. यह कि डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा प्रदत्त विद्युत का उपभोग करने वाले निम्नदाब उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटर की रीडिंग अपने स्मार्ट मोबाईल फोन पर डाउनलोड किए गए सीएसपीडीसीएल के सॉफ्टवेयर की सहायता से दर्ज कर ब्लूटूथ युक्त थर्मल प्रिंटर से मौके पर ही बिल प्रिंट कर उपभोक्ता को तत्काल उपलब्ध कराने का कार्य डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी ने द्वितीय पक्ष से ठेके पर अनुबंध की तारीख से एक वर्ष तक कराना तय किया है। मीटर रीडर/वाचक को मीटर रीडिंग के साथ–साथ फोटो भी खींचनी है।

03. यह कि 15 अश्वशक्ति से अधिक भार वाले औद्योगिक उपभोक्ता इस योजना में शामिल नहीं होंगे तथा अन्य उपभोक्ताओं के बारे में संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा निर्णय किया जाएगा।

04. यह कि मीटर रीडर/वाचक को एक बार में एक ही बिलिंग डेटा दिया जाएगा। प्रत्येक मीटर रीडिंग बैच हेतु मीटर रीडर्स को दी जाने वाली मीटर रीडिंग एम.आर.यू. आधारित होगी। मीटर रीडिंग निर्धारित समयावधि में करने हेतु आवष्यक एम.आर.यू. का निर्धारण वितरण केन्द्र/ज़ोन प्रभारी के द्वारा मासिक रीडिंग आरंभ करने से पहले ही आवष्यक रूप से कर लिया जाएगा।

05. यह कि डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी नीचे दर्शायी दरों पर स्पॉट बिलिंग कार्य हेतु द्वितीय पक्ष को प्रति माह भुगतान करेगीः–

कार्य	भुगतान
फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में मोबाईल एप की सहायता से मीटर में दर्ज रीडिंग के आधार पर मौके पर ही प्रिंटर से बिल प्रिंट कर उपभोक्ता को सौपने, डाटा डाउनलोडिंग, अपलोडिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य में सहयोग करना.	(1) शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र) में–रु. 5.00 प्रति उपभोक्ता (2) ग्रामीण क्षेत्र (नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र) में –रु. 6.00 प्रति उपभोक्ता. (3) नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों (नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र) में– रु. 7.00 प्रति उपभोक्ता (इसमें संलग्न सूची अनुसार दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र तथा सामान्य अनुसूचित क्षेत्र शामिल होंगे) उक्त दरों में GST सम्मिलित नहीं हैं।

06. यह कि इस योजना के तहत चयनित मीटर रीडर/वाचक के प्रशिक्षण की व्यवस्था संबंधित कनिष्ठ/सहायक अभियंता, वितरण केन्द्र/ज़ोन प्रभारी द्वारा की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान मीटर रीडर/वाचक को किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा भत्ता पाने की पात्रता नही होगी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात ही संबंधित कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/(शहर) संभाग द्वारा फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग का कार्य सौंपा जाएगा।

07. यह कि इस योजना के तहत चयनित मीटर रीडर/वाचक के पास स्वयं का स्मार्ट मोबाइल फोन (एन्ड्रॉइड ओरियो 8..0 या अधिक वर्ज़न, न्यूनतम 3 जीबी रैम, कैमरा न्यूनतम 8 मेगापिक्सल) जिसमें उपभोक्ता स्थल के अक्षांश/देशातंर दर्ज करने की क्षमता हो, इंटरनेट सुविधा एवं ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर का होना अनिवार्य है। प्रिंटर में उपयोग होने वाले थर्मल प्लेन पेपर रोल मीटर वाचक को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
थर्मल प्रिंटर एवं थर्मल प्लेन पेपर रोल की तकनीकी जानकारी निम्नानुसार होगीः–

i) <u>थर्मल प्रिंटरः</u>– 2 इंच थर्मल प्रिंटिंग, ब्लूटूथ 4.0 वर्ज़न (10 मीटर रेंज), 65 जीएसएम के 15 मीटर थर्मल प्रिंटिंग पेपर रोल के लिए उपयुक्त, रिचार्जेबल लिथियम ऑयन बैटरी न्यूनतम 2000 एम.ए.एच., हिन्दी प्रिंटिंग हेतु यूनीकोड सपोर्ट।

ii) <u>थर्मल प्रिंटिंग पेपर रोलः</u>– 58 एम.एम. चौडाई, 55 से 65 जीएसएम, 15 मीटर लंबाई, पेपर रोल कोर 10 एम.एम., पेपर रोल के दोनो तरफ कोरा रहेगा एवं पेपर की क्वालिटी का चयन इस प्रकार से हो कि सामान्य परिस्थिति में न्यूनतम 6 माह तक प्रिंटिंग सुरक्षित रहे।

08. यह कि फोटोस्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग के कार्य हेतु प्राधिकृत अधिकारी संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/(शहर) होंगे। मीटर रीडर/वाचक हेतु उपभोक्ताओं के समूह संबंधी कार्य आबंटन, मीटर रीडिंग की मॉनिटरिंग संभाग के वितरण केन्द्र/ज़ोन प्रभारी के द्वारा की जावेगी।

09. यह कि कार्यपालन अभियंता (संचारण एवं संधारण)/(शहर) यह सुनिश्चित करेंगे कि संभाग के अंतर्गत आने वाले वितरण केन्द्र/ज़ोन के समस्त निम्नदाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग प्रत्येक माह की 01 तारीख से 15 तारीख तक (तीन बैच में विभक्त करते हुए) अनिर्वायतः पूर्ण कर ली जाए।

10. यह कि मीटर रीडर/वाचक को एक समय में सिर्फ एक ही ठेका दिया जाएगा। फोटोस्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग के कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्र में अधिकतम 1500, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1200 और नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1000 उपभोक्ता की रीडिंग प्रति मीटर रीडर की सीमा निर्धारित रहेगी।

11. यह कि मीटर रीडर/वाचक को शहरी क्षेत्र में 100 से 120 उपभोक्ता, ग्रामीण क्षेत्र में 80 से 90 उपभोक्ता तथा नक्सल प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में 70 से 80 उपभोक्ता प्रतिदिन की रीडिंग कम से कम करनी होगी।

12. यह कि मीटर रीडिंग पूर्णतः रियलटाईम आधारित है जिसमें मीटर रीडर को मीटर रीडिंग पंचिग करने हेतु मीटर हिस्ट्री में उपलब्ध बिलिंग KWH बिलिंग KW एवं बिलिंग PF को ही पंच करना है।

13. यह कि मीटर रीडर/वाचक द्वारा यदि ऑफलाईन मोड में रीडिंग ली गई है, तो उसको नेटवर्क में आने पर ऑनलाईन मोड में रीडिंग को अपलोड करना अनिवार्य होगा।

14. यह कि प्राधिकृत अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगें कि किसी एक संभागीय कार्यालय से अनुबंधित मीटर वाचक किसी दूसरे संभागीय कार्यालय से अनुबंध न करें एवं यथासंभव चयनित मीटर वाचक स्थानीय जिले का मूल निवासी हो।

15. यह कि मीटर रीडर/वाचक द्वारा सौंपे गए कार्य की पूर्ति न करने अथवा गलत कार्य करने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को निम्नानुसार रहेगा :–

(1) मीटर वाचक को प्रदान किए गए बिलिंग डेटा के अनुसार मीटर रीडिंग एवं बिलिंग निर्धारित समयावधि में पूर्ण न किए जाने की स्थिति में रुपये 100/– प्रतिदिन

यदि वितरण केन्द्र/ज़ोन प्रभारी द्वारा निर्धारित समयावधि में मीटर रीडर/वाचक द्वारा 90% मीटर रीडिंग/बिलिंग और शेष रीडिंग अगले तीन दिन में पूरी कर ली जाती है तो क्षतिपूर्ति नही लगेगी।

(2) किसी उपभोक्ता की मीटर रीडिंग एवं बिलिंग निर्धारित समयावधि में नहीं करने पर अथवा त्रुटिपूर्ण करने पर रुपये 5/– प्रति उपभोक्ता अधिकतम रूपये 500/– प्रतिमाह

(3) एक ही उपभोक्ता का लगातार दूसरी बार भी मीटर रीडिंग एवं बिलिंग नहीं करने अथवा त्रुटिपूर्ण रीडिंग करने पर रुपये 25/– प्रति उपभोक्ता।

(4) किसी उपभोक्ता की जानबूझकर कम अथवा अधिक रीडिंग करने पर (अंडर–रीडिंग या ओवर रीडिंग) या जांच में मीटर में कम रीडिंग के कारण संचित यूनिट पाए जाने पर रुपये 400/– प्रति उपभोक्ता। इस तरह की गलतियां बार–बार पाए जाने पर मीटर वाचक का अनुबंध/ठेका 15 दिन की नोटिस देकर रद्द भी किया जा सकेगा तथा वह विद्युत अधिनियम–2003/भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही का पात्र होगा।

(5) उपभोक्ता द्वारा बिल प्राप्त न होने कि शिकायत प्राप्त होने पर तथा जांच पश्चात् शिकायत सिद्ध पाए जाने पर उपभोक्ता की रीडिंग हेतु निर्धारित पारिश्रमिक दर की कटौती मीटर वाचक के देयक से की जाएगी।

16. यह कि द्वितीय पक्ष मीटर रीडर/वाचक को ठेका अनुबंध एवं पहचान–पत्र (फोटोयुक्त) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जो कि अहस्तांतरणीय होगा। पहचान पत्र अधिकतम एक वर्ष के लिये जारी किया जाएगा। ठेका समाप्त होने पर परिचय–पत्र संभागीय कार्यालय को वापस करना अनिवार्य होगा।

17. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये कार्य की लगातार उपेक्षा, डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी की संपत्ति या हितों को नुकसान पहुंचाने अथवा अनियमितता एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित कार्यपालन अभियंता 15 दिवस का "कारण बताओ नोटिस" देने के बाद अनुबंध निरस्त/समाप्त कर सकेगा।

18. यह कि इस योजना के तहत दिया गया ठेका अहस्तांतरणीय है। द्वितीय पक्ष फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु नवीन मीटर वाचक योजना का कार्य किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करवाएगा। परिचय–पत्र द्वितीय पक्ष के स्वयं के नाम पर जारी होगा और उसे स्वयं कार्य करना होगा।

19. यह कि फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग कार्य के दौरान पहचान के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र (जिसे मीटर वाचन के समय उपभोक्ता चाहें तो देख सकें) तथा पृष्ठ भाग में "CSPDCL METER READER" मुद्रित गहरे नीले रंग की जैकेट को धारण करना अनिवार्य होगा।

20. यह कि प्राधिकृत अधिकारी उनके संभाग के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक वितरण केन्द्र/ज़ोन में मीटर वाचक द्वारा की गई माहवार रीडिंग की निगरानी/पर्यवेक्षण सुनिश्चत करेंगे।

21. यह कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा दिये गये ठेका–कार्य को द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण निष्ठा एवं सूझ–बूझ के साथ किया जाएगा और उसके द्वारा किये गये कार्य अथवा किसी चूक से होने वाली क्षति के लिये द्वितीय पक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

22. यह कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से संबंधित सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता को फोटो स्पॉट बिलिंग संबंधी इस ठेके के कार्य के संबंध में द्वितीय पक्ष को निर्देश आदि देने का अधिकार होगा जिनका पालन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा।

23. यह कि चयनित ठेकेदार/मीटर वाचक से अनुबंध एक वर्ष के लिए किया जाएगा तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर पुनः ठेका अनुबंध या आदेश में विस्तार अधिकतम और एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा।

24. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में विद्युत चोरी की लिखित गोपनीय सूचना संबंधित कार्यपालन अभियंता को दिए जाने पर चोरी के विरूद्ध वसूल की गई राशि में से ऊर्जा प्रभार एवं स्थाई प्रभार का 10% अथवा अधिकतम रुपये 10,000/– जो भी कम हो, प्रोत्साहन के रूप में मीटर वाचक को देय होगी।

25. यह कि द्वितीय पक्ष से अनुबंध के समय किसी तरह की अमानत राशि/सुरक्षा निधि नही ली जाएगी।

26. यह कि प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मीटर रीडिंग कार्य में लगे हुए मीटर रीडरों से किसी भी प्रकार से बंद/खराब/जले मीटरों को बदलने का कार्य नहीं कराया जावेगा।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
कार्यपालन अभियंता	वैयक्तिक ठेकेदार/मीटर वाचक
नाम, पद एवं कार्यालयीन सील	नाम एवं पूर्ण पता
(1) गवाह	(1) गवाह
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(नाम एवं पद)	(नाम एवं पूर्ण पता)
(2) गवाह	(2) गवाह
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(नाम एवं पद)	(नाम एवं पूर्ण पता)

आवेदन–प्रपत्र

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
(सुधार एवं संधारण)/(शहर) संभाग
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
....

रंगीन फोटो

नाम...

पिता का नाम...

आयु ....

निवास का पता ....

....

... थाना .... जिला ....

शैक्षणिक योग्यता ....

1. हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा पास करने का वर्ष ....
2. बोर्ड का नाम. ....
3. परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत ....
4. अन्य योग्यताएं..
5. वर्तमान कार्य का अनुभव ....

ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे उम्मीदवार जो हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण नही हैं उस स्थिति में–

1. दसवीं (10) परीक्षा पास करने का वर्ष...
2. बोर्ड का नाम. ....
3. परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत ....
4. कौशल विकास योजना के अंतर्गत मीटर रीडर का प्रशिक्षण प्राप्त है ? – हाँ / नहीं (यदि जवाब हाँ है तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. अन्य योग्यताएं..

(सभी अंक–सूचियों तथा योग्यताओं की प्रमाणित फोटो–कॉपी के साथ आधार कार्ड की स्व–हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संलग्न करें)

सत्यापन

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूरी तरह सत्य है। मैंने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा निम्नदाब उपभोक्ता के फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु जारी "नवीन मीटर वाचक योजना" के विवरण और सभी नियम व शर्तों एवं निर्धारित दरों का भलीभांति अध्ययन कर लिया है और मैं उनसे सहमत हूं। चयन होने के उपरांत मैं तदनुसार कार्य अनुबंध निष्पादित कर दूंगा।

स्थान :–

हस्ताक्षर

दिनांक :–

(आवेदक का नाम)

पहचान पत्र हेतु दिशा–निर्देश

01. पहचान–पत्र रंगीन फोटो पर सत्यापित किया जावे। एक प्रति कार्यालयीन रिकार्ड में चस्पा की जावे।
02. पहचान–पत्र में नियोजन का उद्देश्य " फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग" शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वितरण केन्द्र / ज़ोन के उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग एवं बिल वितरण हेतु अंकित किया जावे।
03. पहचान–पत्र जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर से सामान्यतः एक निर्धारित समय तक के लिए ही पहचान–पत्र दिया जाए जिसकी अधिकतम समयावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
04. उपभोक्ताओं के द्वारा किसी प्रकार का सीधा भुगतान पहचान–पत्र धारक को न किया जाए।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचा / संधा) / (शहर)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ....
..............................जोन / वितरण केन्द्र

फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु परिचय–पत्र

01. अधिकृत व्यक्ति का पूरा नाम :– ....

02. पिता का नाम :– ....

03. जारी करने की अवधि / तिथि :– ....

04. परिचय पत्र की वैधता कब तक :– ....

सत्यापित
रंगीन
फोटो

आवश्यक निर्देश

01. निर्दिष्ट व्यक्ति केवल मीटर की फोटोस्पॉट रीडिंग एवं बिलिंग कर बिल उपभोक्ता को सौंपने हेतु अधिकृत किया गया है। बिजली बिल अथवा अन्य किसी तरह के भुगतान / राजस्व संग्रहण हेतु अधिकृत नही है।
02. विद्युत बिल अथवा बिजली संबंधी किसी तरह की शिकायत हेतु अधिकृत अधिकारी से कार्यालय में सम्पर्क करें। मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु निर्दिष्ट व्यक्ति से कृपया किसी तरह का विवाद न करें।
03. परिचय पत्र में निहित (प्रतिहस्ताक्षरित फोटोग्राफ) व्यक्ति ही फोटो स्पॉट रीडिंग एवं बिलिंग हेतु अधिकृत है।

जारी करने वाले अधिकारी
के सीलयुक्त हस्ताक्षर

समाचार पत्रों में फोटो स्पॉट मीटर रीडिंग एवं बिलिंग हेतु नवीन मीटर वाचक योजना के ठेका कार्य हेतु दिये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप

....

कार्यालय कार्यपालन अभियंता(संचा/संधा)/(शहर), संभाग,
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ....

मीटर रीडिंग एवं फोटो स्पॉट बिलिंग कार्य बाह्य स्त्रोत/स्वतंत्र मीटर रीडर्स/मीटर वाचक से कराने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(संचारण/संधारण)/(शहर) संभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड .... में फोटो स्पॉट मीटर वाचन एवं बिलिंग का कार्य ठेके पर हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण अथवा कौशल विकास योजना के अंतर्गत मीटर रीडर/वाचक का प्रशिक्षण प्राप्त दसवीं उत्तीर्ण व्यक्ति को दिये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में कार्य करने वाले अथवा कार्य कर चुके ऐसे ठेका मीटर वाचक, जिनका कार्य संतोषजनक रहा है, को प्राथमिकता दी जावेगी, तत्पश्चात आई.टी.आई. अथवा कम्प्यूटर क्षेत्र में डिग्री/डिप्लोमाधारी व्यक्तिओं को प्राथमिकता दी जायेगी। संभागीय कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि .. .. है। नियम एवं शर्तों को विभाग की वेबसाईट www.cspdcl.co.in अथवा संबंधित कार्यालय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा)/(शहर) संभाग
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड..............